






मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से विभाग/कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेंगे। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर (EMD) सम्बन्धी डिमान्ड ड्राफ्ट्स/पे ओर्डर्स/प्रतिभूति प्रमाण-पत्र मूलरूप में प्रस्तुत नहीं किए जाने पर निविदादाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए तथा उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की भी कार्यवाही की जायेगी।”

  
(अनिल कुमार)  
अभियन्ता,  
जिला पंचायत, आगरा।

  
(प्रदीप कुमार)  
अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, आगरा।

  
(प्रदीप कुमार)  
अध्यक्ष,  
जिला पंचायत, आगरा।


कार्यालय, जिला पंचायत, आगरा।

दिनांक : 09.09.2020

पत्रांक- 817 /जि0पं0आ0/2020-21

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को अनुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. कार्यालय, मा0 जिला न्यायाधीश, आगरा।
2. कार्यालय, जिलाधिकारी, आगरा।
3. कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
4. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोषक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व)/प्रशासन, आगरा।
6. समस्त सम्बन्धित माननीय ग्राम प्रधान/माननीय प्रमुख क्षेत्र पंचायत, आगरा।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, आगरा।
8. वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, आगरा।
9. अभियन्ता, जिला पंचायत, आगरा व नोटिस बोर्ड पर घस्था हेतु।
10. जिला पंचायतराज अधिकारी, आगरा/समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा, समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी, आगरा।
11. समस्त अवर अभियन्ता, जिला पंचायत आगरा।
12. जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी आगरा को वेबसाइट [www.agra.nic.in](http://www.agra.nic.in) पर निविदा फार्म सहित अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित है।

  
(प्रदीप कुमार)  
अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, आगरा।  
(प्रदीप कुमार)  
अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत आगरा